

## प्ररूप सं० 9

( नाम निर्देशन का प्ररूप-नियम 2.5.1 के प्रतिनिर्देश करें )

किसी कंपनी द्वारा व्यक्तियों का नाम निर्देशन

नियम 3.5.1(2) के निबंधनों के अनुसार कंपनी का स्वामित्वधारी या निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण मैं सूचना देता हूँ कि निम्नलिखित व्यक्ति(यों) को व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम के सामने वर्णित स्थापन, शाखा, यूनिट का भारसाधक व्यक्ति (यों) के रूप में नामनिर्देशित किया जाता है/ किए जाते हैं और संबद्ध स्थापन/शाखा/यूनिट की बाबत खाद्य सुरक्षा या अधिनियम और नियम/विनियमों या तद्धीन जारी किए गए निर्देशों के किसी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी और दायी होंगे।

व्यक्ति(यों) द्वारा वे सभी कदम उठाएंगे, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन और उनके अनुपालन में किसी अपराध के कंपनी द्वारा किए जाने को रोकने के लिए आवश्यक हों।

शाखा वाद/कार्यालय वार नामनिर्देशन।

स्थापन/शाखा/इकाई का नाम

भारसाधक व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर

1.

1.

2.

2.

3.

3.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के संबंध में बोर्ड के संकल्प की सत्यापित प्रति तारीख \_\_\_\_\_ संलग्न है।

स्थान \_\_\_\_\_

लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड \_\_\_\_\_ के लिए

तारीख \_\_\_\_\_

1. कंपनी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान \_\_\_\_\_